

ज्ञापांक 1284 / पी0

29-04-2018

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

दिनांक 03/12/18

सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक,
(वि0शा0 / अप0अनु0वि0 / भ्र0नि0 ब्यूरो / जे0पी0ए0, हजारीबाग /
रेल / जे0जे0 / जंगलवार फेयर स्कूल नेतरहाट / झा0स0पु0 सहित)।

विषय :- पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ की स्वीकृति हेतु दिनांक-10.09.18 को सम्पन्न म0नि0 चयन पर्षद -सह- स्क्रीनिंग समिति की बैठक के वृत्त का प्रेषण।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ की स्वीकृति निमित्त दिनांक-10.09.18 को सम्पन्न म0नि0 चयन पर्षद -सह- स्क्रीनिंग समिति की बैठक का वृत्त संलग्न किया जा रहा है। वृत्त में जिन पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ की स्वीकृति हेतु योग्य घोषित किया गया है, उनके मामले में सभी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई (वेतन निर्धारण आदि) विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त करने एवं इसके आलोक में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची से अपेक्षित आदेश निर्गत होने के पश्चात की जा सकती है। साथ ही जिन मामलों को लंबित या आयोग्य की श्रेणी में रखा गया है उन मामलों में त्रुटि का निराकरण करते हुए स्वच्छ मनोनयन / प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय। अनु0-यथोक्त।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।

प्रतिलिपि :-

1/ प्रभारी डाटा सेन्टर, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को संबंधित वृत्त की प्रति संलग्न करते हुये कहना है कि वृत्त कि प्रति झारखण्ड पुलिस वेबसाईट-www.jhpolice.gov.in पर प्रकाशित करने का कष्ट किया जाय।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।

62

पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० लाभ की स्वीकृति हेतु दिनांक-10.09.2018 को संपन्न महानिदेशक चयन पर्वद -सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक का वृत्त:-

उपरिस्थिति:-

1. श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, (भा.पु.से.) अध्यक्ष
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।
2. श्री पी० आर० के० नायडू, (भा.पु.से.) रादस्य
पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
झारखण्ड, राँची।
3. श्री रेजी डुंगडुंग (भा.पु.से.) रादस्य
अपर पुलिस महानिदेशक,
संचार एवं तकनीकी सेवाएँ झारखण्ड, राँची
4. श्रीमती संगिता कुमारी (भा.पु.से.) रादस्य
पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
झारखण्ड, राँची।
5. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, रादस्य
अवर सचिव,
योजना-सह-वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।
6. श्री नीरज कुमार, रादस्य
अवर सचिव,
योजना-सह-वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।
(कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि)

दिनांक-10.09.2018 को सम्पन्न महानिदेशक चयन पर्वद-सह-स्क्रीनिंग समिति की बैठक में परिचारी प्रवर/पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ की स्वीकृति के निमित्त क्षेत्रीय चयन पर्वद से प्राप्त मनोनयन एवं वृत्त के समीक्षोपरान्त स्तम्भ-04 में अंकित निर्णय लिए गए।

क्र०सं०	पद नाम एवं नाम	वर्तमान पदस्थापन	म०नि० चयन पर्वद की बैठक में लिया गया निर्णय।
1	2	3	4
1.	सेवानिवृत्त पु०नि० अजय सिंह	गढवा	दिनांक-17.02.99 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण संशोधित प्रथम ए०सी०पी० हेतु दिनांक-17.02.02 से योग्य एवं 02 वर्ष 06 माह 08 दिन के विलंब के कारण संशोधित द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु दिनांक-09.03.11 से योग्य । तदनुसार तृतीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित होकर दिनांक-22.04.18 से अनुमान्य परंतु उससे पूर्व दिनांक-31.01.17 को सेवानिवृत्त।

2.	पु०नि० अनिल कुमार सिंह	गढवा	दिनांक-06.09.06 को प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए दिनांक-05.09.06 से प्रथम ए०सी०पी० हेतु योग्य। दिनांक-18.10.12 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-18.10.15 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
3.	पु०नि० हरिनारायण सिंह	रेल जिला धनबाद	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
4.	पु०नि० जुल्फीकार अली	रेल जिला धनबाद	दिनांक-01.10.03 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण संशोधित प्रथम ए०सी०पी० हेतु दिनांक-01.10.06 से योग्य एवं दिनांक-17.05.12 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-17.05.15 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
5.	सेवानिवृत्त पु०नि० केदार राम	रेल धनबाद	लगातार सजा प्रभावी रहने के कारण पूर्व में दिनांक-31.08.04 से प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए दिनांक-05.02.11 से प्रथम एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य एवं 08 वर्ष 03 माह 04 दिन के विलंब के कारण द्वितीय एम०ए०सी०पी० दिनांक-05.02.19 से अनुमान्य। अतः विचारण परिधि से बाहर।
6.	पु०नि० रामाकान्त राम	रेल धनबाद	दिनांक-15.11.07 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-15.11.10 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य एवं 02 वर्ष 05 माह के विलंब के कारण दिनांक-15.11.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
7.	पु०नि० गरीबन पासवान	रेल धनबाद	दिनांक-29.12.11 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-29.12.14 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
8.	पु० नि० मनोज कु० सिंह	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
9.	पु०नि० शशिभूषण रजक	वि०शा०	पी०टी०सी०/हिन्दी परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि का जाँच/मिलान सेवापुस्त से अपेक्षित एवं पर्याप्त वा०गो०च० अंकित नहीं रहने के कारण तत्काल लंबित।
10.	पु०नि० नन्द किशोर दास	वि०शा०	दिनांक-27.07.05 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण पूर्व में दिनांक-05.09.06 से प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० संशोधित करते हुए दिनांक-27.07.08 से प्रथम ए०सी०पी० हेतु योग्य एवं 01 वर्ष 10 माह 27 दिन के विलंब के कारण दिनांक-27.07.16 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
11.	पु०नि० कन्हाई राम	वि०शा०	हिन्दी उत्तीर्णता की तिथि 12.04.15 से प्रथम एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य। द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु विचारण परिधि से बाहर।

me 12 2

12

12

12.	पु०नि० पंकज कु० झा	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
13.	पु०नि० विनय प्र० मंडल	वि०शा०	दिनांक-09.09.11 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु दिनांक-09.09.14 से योग्य।
14.	से०नि० पु०नि० बलिराम प्रसाद	वि०शा०	दिनांक-06.10.15 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-06.10.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय। अतः विचारण परिधी से बाहर।
15.	से०नि० पु०नि० श्याम सुंदर	वि०शा०	दिनांक-07.04.08 से द्वितीय ए०सी०पी० हेतु योग्य एवं दिनांक-08.05.12 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक- 08.05.15 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
16.	पुलिस उपाधीक्षक (तत्का० पु०नि०) अनिल कु० सिंह	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
17.	पु०नि० कमलेश सिंह	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
18.	पु०नि० राजेश कुमार	अप०अनु०वि०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
19.	पु०नि० देवव्रत पोद्दार	झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
20.	से०नि० पु०नि० श्याम नारायण भास्कर	जे०ए०पी०टी०सी०, पदमा	दिनांक-14.10.15 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
21.	पु०नि० कैलाश प्रसाद यादव	जे०ए०पी०टी०सी०, पदमा	इन्हें द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ दिनांक-27.07.13 को प्रदान किया गया है परंतु प्राप्त मनोनयन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इन्हें उक्त स्वीकृति किस आधार पर दी गई है। इसकी जाँच अपेक्षित है एवं वा०गो०च०अ० अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
22.	पुलिस उपाधीक्षक (तत्का० पु०नि०) ललन कुमार ठाकुर	झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग	दिनांक-13.07.02 को प्राप्त प्रथम ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए दिनांक-12.07.02 से प्रथम ए०सी०पी० हेतु योग्य। प्रथम ए०सी०पी० 02 वर्ष 11 माह 04 दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित/ संशोधित होकर दिनांक-19.05.11 से अनुमान्य है। तृतीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित होकर दिनांक-19.05.17 से अनुमान्य है परंतु उससे पूर्व ही दिनांक-16.12.16 को पुलिस उपाधीक्षक की मूल कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त हो चुके हैं। अतः तृतीय एम०ए०सी०पी० देय नहीं।
23.	पु०उपा० (प्रशा०) पाषण सुरीन	पु०उ०म०नि० कार्यालय, कोयला क्षेत्र, बोकारो	दिनांक-15.06.14 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।


24.	पुलिस उपाधीक्षक (प्रशा0) श्याम कुमार सिंह	पुलिस उप-महानिरीक्षक का कार्यालय, उ0छो0 क्षेत्र, हजारीबाग ।	दिनांक-31.08.01 को प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 को संशोधित करते हुए दिनांक-30.08.01 से प्रथम ए0सी0पी0 हेतु योग्य। प्रथम ए0सी0पी0 02 वर्ष 22 दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम0ए0सी0पी0 भी विलंबित/ संशोधित होकर दिनांक-07.07.10 से अनुमान्य है। तृतीय एम0ए0सी0पी0 भी विलंबित होकर दिनांक-07.07.17 से अनुमान्य है परंतु उससे पूर्व ही दिनांक-25.03.15 को पुलिस उपाधीक्षक की मूल कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त हो चुके हैं। अतः तृतीय एम0ए0सी0पी0 देय नहीं।
25.	पु0नि0 अतीन कुमार	रामगढ़	दिनांक-16.12.05 एवं दिनांक-14.02.08 को वृहद दण्ड संसूचित होने के कारण संशोधित प्रथम एम0ए0सी0पी0 हेतु दिनांक-14.02.11 से योग्य। तदनुसार 04 वर्ष 05 माह 09 दिन के विलंब के कारण द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दिनांक-14.02.19 से देय। अतः विचारण परिधी से बाहर।
26.	पु0नि0 शीला टोप्पो	हजारीबाग	दिनांक-09.10.14 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
27.	पु0उपा0 राजेन्द्र सिंह	झा0स0पु0-07, हजारीबाग	दिनांक-14.10.15 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
28.	पु0नि0, मो0 कमाल खॉ	जं0वा0 स्कूल, नेतरहाट	प्रथम एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति 02 वर्ष 07 माह 27 दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम0ए0सी0पी0 भी विलंबित होकर दिनांक-02.05.17 से अनुमान्य।
29.	से0नि0 पु0 उपा0 विक्टर माईकल	भ्र0नि0 ब्यूरो राँची	दिनांक-21.07.10 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
30.	पु0नि0 रवीन्द्र प्रसाद सिंह	राँची	दिनांक-24.08.99 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण संशोधित प्रथम ए0सी0पी0 हेतु दिनांक-24.08.02 से योग्य एवं 01 वर्ष 20 दिन के विलंब के कारण दिनांक-24.08.10 से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
31.	पु0नि0 जयप्रकाश सिंह	पलामू	प्राप्त मनोनयन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्हें प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक-17.12.01 को अनुमान्य होता है परंतु प्रथम ए0सी0पी0 इन्हें दिनांक-06.04.03 से प्रदान किया गया है। उक्त विलंब का कारण प्राप्त सेवाभिलेख से नहीं हो पा रहा है। जिसकी जाँच/मिलान सेवापुरत से अपेक्षित है। साथ ही हिन्दी परीक्षा उत्तीर्णता तिथि की भी जाँच कर ली जाय। अतः तत्काल लंबित।
32.	पु0नि0 सतीश कुमार सिन्हा	वि0शा0	दिनांक-06.09.06 को प्राप्त प्रथम ए0सी0पी0 को संशोधित करते हुए दिनांक-05.09.06 से प्रथम ए0सी0पी0 हेतु योग्य। दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
33.	पु0नि0 सतीश कुमार	वि0शा0	दिनांक-02.07.12 को वृहद दण्ड संसूचित होने के कारण दिनांक-02.07.15 से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 हेतु योग्य।
34.	पु0नि0 सावना खडिया	वि0शा0	सेवा सम्पुष्टि की तिथि एवं सम्पति विवरणी अप्राप्त रहने के कारण लंबित।


35.	पु०नि० सुमन आनन	वि०शा०	प्रथम ए०सी०पी० की स्वीकृति 02 वर्ष 09 माह के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित होकर दिनांक-23.05.12 से अनुमान्य।
36.	पु०नि० विग्गा तिर्की	वि०शा०	लगातार सजा प्रभावी रहने के कारण दिनांक-19.03.12 से प्रथम एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य एवं 05वर्ष 06माह 14दिन के विलंब के कारण द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु विचारण परिधी से बाहर।
37.	पु०नि० अशोक कुमार	वि०शा०	दिनांक-12.07.09 एवं दिनांक-17.10.09 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-17.10.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
38.	पु०नि० ओम प्रकाश शुक्ला	वि०शा०	दिनांक-17.01.13 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-17.01.16 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
39.	पु०नि० अक्षय कु० राम	वि०शा०	दिनांक-03.02.07 एवं दिनांक-04.10.08 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-03.02.10 को प्राप्त प्रथम एम०ए०सी०पी० निरस्त किया जाता है एवं संशोधित प्रथम एम०ए०सी०पी० हेतु दिनांक-04.10.11 से योग्य। एवं उक्त विलंब के कारण द्वितीय एम०ए०सी०पी० विचारण परिधी से बाहर।
40.	पु०नि० नलिन कुमार मारांडी	वि०शा०	प्रथम ए०सी०पी० की स्वीकृति 01 वर्ष 06 माह 22 दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित होकर दिनांक-27.03.16 से देय।
41.	पु०नि० हिमांशु चन्द्र मांझी	वि०शा०	दिनांक-22.02.14 को वृहद दण्ड संसूचित होने के कारण दिनांक-22.02.17 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
42.	पु०नि० प्रेमरंजन शर्मा	वि०शा०	दिनांक-04.06.98 को वृहद दण्ड संसूचित होने के कारण इन्हे प्रथम ए०सी०पी० का लाभ 01 वर्ष 09 माह 25 दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः संशोधित द्वितीय एम०ए०सी०पी० दिनांक-26.06.10 से अनुमान्य एवं दिनांक-09.08.17 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
43.	पु०नि० अभय कुमार सिन्हा	पलामू से प्रतिनियुक्ति सी०बी०आई० रांची	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
44.	पु०नि० अनिल कुमार सिंह	गढ़वा	वृत्त का क्रमांक-02 पर निर्णय लिया जा चुका है।
45.	परिचारी प्रवर चन्द्रशेखर सिंह	लातेहार	दिनांक-09.05.2000 से प्रथम ए०सी०पी० एवं दिनांक-01.09.08 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० तथा दिनांक-09.05.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
46.	पु०नि० अवधेश कुमार सिंह	लातेहार	वा०गो०च०अ० अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
47.	पु०नि० राकेश नन्दन मिंज	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
48.	पु०नि० सिप्रियन बागे	वि०शा०	दिनांक-02.06.14 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-02.06.17 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
49.	पु०नि० गनोज कुमार सिंह	वि०शा०	दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।





5







50.	पु०नि० जय प्रकाश नारायण चौधरी	लोहरदगा	दिनांक-01.09.08 को प्राप्त प्रथम एम०ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए दिनांक-05.09.06 से प्रथम ए०सी०पी० हेतु योग्य। दिनांक-05.09.14 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
51.	से०नि० पु०नि० विनय कु० सिंह	धनबाद	प्राप्त मनोनयन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्हे द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ दिनांक-01.09.08 से अनुमान्य होता है परंतु इन्हे पूर्व में दिनांक-13.08.11 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ किस कारण से प्रदान किया गया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इस बिन्दु पर क्षेत्रीय पर्वद का कोई स्पष्ट मंतव्य भी अंकित नहीं है। अतः इस संबंध में क्षेत्रीय पर्वद का सुस्पष्ट मंतव्य एवं जाँच प्रतिवेदन वांछित है। तत्काल लंबित।
52.	पु०नि० शैलेश कुमार गुप्ता	आप०अनु०वि०	दिनांक-31.07.09 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-31.07.12 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० एवं 04 वर्ष 01 माह 16 दिन के विलंब के कारण दिनांक-31.07.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
53.	पु०नि० मो० कासिम	अप०अनु०वि०	दिनांक-27.01.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
54.	पु०नि० अनिल कुमार करण	राँची	दिनांक-09.06.05 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण प्रथम ए०सी०पी० का लाभ 01वर्ष 09माह 04दिन के विलंब से प्राप्त है। अतः द्वितीय एम०ए०सी०पी० भी विलंबित हो कर दिनांक-09.06.16 से अनुमान्य है।
55.	पु०नि० राजेश प्रसाद रजक	राँची	दिनांक-18.04.13 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-18.04.16 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
56.	पु०नि० राजेश कुमार सिंह	सिमडेगा	सम्पत्ति विवरणी अप्राप्त रहने के कारण लंबित।
57.	पु०नि० श्रीकांत उपाध्याय	भ्र०नि० ब्यूरो, राँची।	दिनांक-08.09.13 को वृहद दण्ड संसूचित रहने के कारण दिनांक-08.09.16 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
58.	पु०नि० मो० नेहालुद्दीन	अप०अनु०वि०	दिनांक-15.06.08 से द्वितीय ए०सी०पी० एवं दिनांक-15.06.14 से तृतीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।
59.	पु०नि० अशोक पासवान	अप०अनु०वि०	दिनांक-01.11.2010 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु योग्य।


उक्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमान्य है :-

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या- 1779/वि०, दिनांक- 21.05.14 में निहित प्रावधान के तहत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के पश्चात अनुमान्य होगा। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्ति के पश्चात ही संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

वित्त विभाग के उक्त संकल्प के आलोक में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का सक्षम स्तर से सत्यापन होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।

स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के सत्यापन के काम में यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है तो स्वीकृत वृत्ति उन्नयन को तदनुसार संशोधित/निरस्त कर दिया जाएगा।

उक्त पुलिस पदाधिकारियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति पर निर्णय क्षेत्रीय पर्वद से प्राप्त सेवाभिलेख के आधार पर लिया गया है। अतएव उपरोक्त मामलों में से कतिपय मामले जिन्हें किसी भी कारण से लंबित/अयोग्य की श्रेणी में रखा गया है उन मामलों में संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक त्रुटि का निराकरण करते हुए क्षेत्रीय चयन पर्वद का स्वच्छ मनोनयन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इस काम में यदि कोई विसंगति प्रकाश में आती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।


सदस्य


(नीरज कुमार)

अवर सचिव,

योजना-सह-वित्त विभाग,

झारखण्ड, राँची।


(कार्गिक विभाग के प्रतिनिधि)


सदस्य

(रजू दुग्गुंग)

अपर पुलिस महानिदेशक,
संचार एवं तकनीकी सेवाएँ,

झारखण्ड, राँची।


10/9/18


सदस्य

(चन्द्रशेखर प्रसाद)

अवर सचिव,

योजना-सह-वित्त विभाग,


झारखण्ड, राँची।


सदस्य

(पी० आर० के० नायडू)

पुलिस महानिदेशक, (मुख्यालय)

झारखण्ड, राँची।



10/9/18

सदस्य

(संगीता कुमारी)

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्गिक)

झारखण्ड, राँची।


10.9.18

अध्यक्ष

(दिनेश कुमार पाण्डेय)

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक,

झारखण्ड, राँची।